न्यायालय सहायक कलक्टर(S.D.O.)सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—43/2013

वादीगण :—

स्व.शेरसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू के वारिसान

1. भीमसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मनोहरसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. गणपतसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. दलपतसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. उतमसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. अंतरकंवर बेवा स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. कमलकंवर पुत्री स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. गणेशकंवर पुत्री स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. स्व. जबरसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के वारिसान
   - 1/1 गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/2 लाखसिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/3 जूजारसिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/4 वीरसिह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/5 प्रवीण सिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/6 लीलकंवर पुत्री स्व.जबरसिंह
   - 1/7 राणकंवर बेवा स्व. जबरसिंह

   निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

2. स्व. अभयसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के वारिसान
   - 2/1 आनन्दकंवर पुत्री अभयसिंह
   - 2/2 धापुकंवर पुत्री अभयसिंह

   निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

3. कालुसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

4. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
6.

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

उपस्थित

1 श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता वादीगण
2 श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :— 30-01-2026

वादी द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53,188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 468, 469, 466, 472, 1598 व 467 रकबा क्रमशः 31.07, 4.16, 05.09, 22.01, 01.10 व 0.01 कुल रकबा 65.04 बीघा भूमि सरहद मौजा पादरू तहसील सिवाना व खसरा संख्या 72 रकबा 280.17 बीघा सरहद मौजा पंऊ तहसील सिवाना में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी धनसिंह के कब्जा काश्त की थी उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण को पैतृक भूमि के रूप में अर्जित हुई, सन 1986 में वादी के पिता स्व. शेरसिंह के अनपढ होने का फायदा उठाकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त भूमि का कागजी बंटवाडा करवा दिया बंटवाडा अनुसार खसरा संख्या 468 के नये खसरा संख्या 1874/468, 1876/468 तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 469 के नये खसरा संख्या 1877/469, 1878/469 तथा खसरा संख्या 72 के नये खसरा संख्या 325/72, 327/72, 326/72,328/72 बनाये गये लेकिन उक्त खसरे नम्बर मात्र कागजों में है, मौके पर किसी प्रकार का बंटवाडा नहीं हुआ तथा मौके पर सामलाती कब्जा काश्त ही हैं वादग्रस्त आराजी पर अन्नय रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 कब्जा काश्त विद्यमान है, स्व. धनसिंह के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान वादीगण के व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता को पैतृक सम्पत्ति के रूप में अर्जित हुई। स्व.धनसिंह के वंश सजरा निम्न प्रकार है।

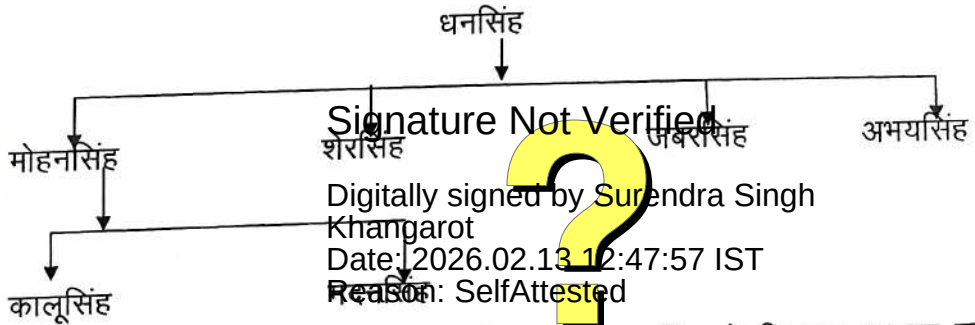

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता स्व. शेरसिंह पुत्र धनसिंह अनपढ व्यक्ति थे जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 16.03.1986 को बंटवारा की इबारत को लिखकर उनका अंगुष्ठ निशान करवा दिया प्रतिवादी स्व. जबरसिंह होशियार व्यक्ति था जिसने

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

वादी के पिता स्व. शेरसिंह के भोलेपन व अनपढ होने का फायदा उठाते हुए बंटवारे की इबारत में वादी के हिस्से में कम जमीन 44.16 बीघा हक में बता दी जबकि विधि अनुसार माफिक सजरा वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा रकबा 86.10 बीघा हक में आती है। वादी मौके पर विधिनुसार वादीगण के पिता स्व. शेरसिंह के 1/4 हिस्सा यानि 86.10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त हैं। प्रतिवादीगण ने बदनियती से दिनांक 16.03.1986 को वादी के हक में मात्र 44.16 बीघा ,प्रतिवादी संख्या 1 के हक में 100.07 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में 100.01 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में 100.17 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1119 व 267 गलत तौर पर अवैध व अनुचित तरीके से भरवा दिया विधि की यह मंशा है कि पक्षकार का हक,हित व अधिकार नामान्तरकरण की फिस्कल प्रकृति की प्रविष्टियों से तय नहीं होता है और न ही नामान्तरकरण से किसी भी पक्षकार के हक उत्पन्न होते है और न ही समाप्त होते है वादीगण का आज रोज भी पहले की भांति निरन्तर सतत 1/4 हिस्से रकबा 86.10 बीघा पर कब्जा बदस्तुर कायम है। वादग्रस्त भूमि में वादी को अपने हक हिस्से से कम भूमि देकर वादी के हको पर कुठारघात किया है राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से वादी की वादग्रस्त भूमि से कटौती करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी को वादग्रस्त पैतृक भूमि में 1/4 बीघा रकबा 86.10 बीघा के स्थान पर मात्र 44.16 बीघा भूमि ही बंटवाडे के तहत दी गई जबकि मौके पर वादी का 86.10 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है। राजस्व रेकर्ड में वादी के हिस्से में मात्र 44.16 बीघा भूमि ही अंकित है तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में उनके विधिक हिस्से से ज्यादा भूमि अंकित है जबकि चारो भाईयों के हिस्से में उक्त वादग्रस्त आराजी का 1/4–1/4 हिस्सा रकबा 86.10–86.10 बीघा भूमि आती है, लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में दिनांक 16.03.1986 के आपसी सहमति के बंटवाडा के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1119 व 267 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा रकबा 86.10 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर बाद घोषणा वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,। अधिवक्ता श्री पूनमचन्द रामदेव द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर [illegible] पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया।

वाद में उभयपक्षकारान द्वारा पेश अभि[illegible] के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

तनकी संख्या 1–आया वादीगण वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 468, 469, 466, 472, 1598 व 467 कुल रकबा 65.04 बीघा सरहद मौजा पादरू (खसरा सख्या 468 के नये खसरा संख्या 1874/468, 1875/468, 1876/468 एवं खसरा संख्या 469 के नये

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

खसरा संख्या 1877/469,1878/469,1879/469) व खसरा संख्या 72 रकबा 280.17 बीघा सरहद पंऊ (जिसके नये खसरा संख्या 325/72, 326/72, 327/72 व 328/72) नामान्तरकरण संख्या 1119 ग्राम पादरू व नामान्तरकरण संख्या 267 ग्राम पंऊ निरस्त अपास्त करवाकर प्रत्येक खसरा में 1/4–1/4 हिस्सा कुल तादादी 86.10 बीघा वादी का हिस्सा दुरूस्त करवाने एवं खतोदारी मे घोषित करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 2–आया बाद घोषणा वादीगण के हिस्से की 1/4 रकबा 86.10 बीघा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाकर पत्थरगढी के आदेश करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 3– आया वादीगण बाद घोषण वादी के हिस्से की 1/4 रकबा 86.10 बीघा में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेघाज्ञा पाने के अधिकारी है ? (जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 4– आया लोक अदालत दिनांक 16.03.1986 को प्रभारी अधिकारी लोक अदालत बालोतरा के समक्ष उक्त वादग्रस्त कृषि जोत भूमि मे विभाजन का एग्रीमेन्ट तैयार कर चारो भाई शेरसिंह,जबरसिह,अभयसिंह वमोहनसिंह ने अपने–अपनेहस्ताक्षर करपेश किया जिस पर हल्का पटवारी व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व चारो भाईयों की लिखित सहमति के आधार पर दिनांक 26.07.1986 को स्वीकृत किये जाने से नामान्तरकरण पारित किया गया। इसी बंटवाडा अनुसार पक्षकारन काबिज–काश्त है। वादीगण की नीयत में खेट आने से अब 27–28 साल बाद मे दावा पेश किया है जो सारहीन, बेबुनियाद, म्याद बहार तथा न्यायालय के श्रवणधिकार का नही होने से प्रतिवादीगण वादीगण का वाद खारिज करवाने के अधिकारी है?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4)

तनकी संख्या 5–अन्य सहायता

वादी की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य पी.डब्लयू 1 गणपतसिंह, पी.डब्लयू 2 आसुराम,पी.डब्लयू 3 भीमसिंह के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श 1 से 8 व बंटवाडा की प्रतिलिपि प्रदर्श 9 से 20 प्रदर्शित करवाए गए।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहन डी.डब्लयू 01 लाखसिंह व डी.डब्लयू 02 मदनसिंह के बयान कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ए से 11 ए प्रदर्शित करवाये। वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी ।

वक्त बहस वादीगण वकील ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता स्व. धनसिंह के नाम दर्ज थी, स्व. धनसिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बतौर पैतृक सम्पत्ति अर्जित हुई। वादग्रस्त खसरा संख्या 468 , 469, 466, 472, 1598 व 467 कुल रकबा 65.04 बीघा सरहद मौजा पादरू (खसरा सख्ंया 468 के नये खसरा संख्या 1874/468,1875/468,1876/468 एवं खसरा संख्या 469 के नये खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O) सिवाना,

1877/469,1878/469,1879/469) व खसरा संख्या 72 रकबा 280.17 बीघा सरहद पंऊ (जिसके नये खसरा संख्या 325/72, 326/72, 327/72 व 328/72) में वादी के पिता स्व. शेरसिंह का 1/4 हिस्सा विद्यमान है, वादी भोले एवं अनपढ व्यक्ति थे, प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भोलेपन व अनपढ होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों का सहमति के आधार पर बंटवाडा का कागजात तैयार कर वादीगण का अंगुष्ठ निशान करवा कर वादग्रस्त भूमि का दिनांक 16.03.1986 को कागजी बंटवाडा करवा दिया। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात 86.10 बीघा भूमि का हक हिस्सा विघमान था परन्तु उक्त बंटवाडा में वादी को 44.16 बीघा भूमि ही हक हिस्से मे दी गई वादीगण पैतृक भूमि में हक हिस्से के आधार पर अर्थात 86.10 बीघा भूमि पर मौके पर अनवरत रूप से काबिज काश्त है, वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हिस्से में 86.10–86.10 बीघा भूमि आती है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कागजी बंटवाडे के आधार पर वादी के हक में 44.16 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में 100.07 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 के हक में 100.01 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में 100.17– 100.17 बीघा का नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया जो कि अवैध व अनुचित है तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में शून्य है बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी को दी गई भूमि किस्म धोरा की है जबकि प्रतिवादीगण के हक में दी गई भूमि चाही अव्वल दी गई है, चाही अव्वल की भूमि उच्च श्रेणी की होती है वादी जो कि अनपढ व भोला स्वभाव का था जिसने अपने भाईयों के कहे अनुसार बंटवाडा पर अगुंष्ठ निशान कर दिये जबकि कानूनी रूप से पैतृक सम्पत्ति में सभी भाईयों का समान हक होता है यदि किसी भाई को कम जमीन दी जाती है तो तहसीलदार को उक्त कम भूमि बाबत विभाजन प्रस्ताव में अंकन करना आवश्यक होता है ऐसा भी अंकन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया तथा बंटवाडा का नामान्तरकरण भी सरपंच द्वारा करीब 2 साल बाद स्वीकृत किया गया जो अपने आप में संदेहास्पद रखता है कानूनी रूप से उक्त विभाजन प्रस्ताव धोखा धडी पूर्ण करवाया गया है, लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का दिनांक 16.03.1986 को कागजी बंटवाडा के रूह में भरे गये ग्राम पादरू के नामान्तरकरण संख्या 1119 व ग्राम पंऊ के नामान्तरकरण संख्या 267 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर बाद घोषणा वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बा[illegible] आदेश फरमाया जावे। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि का बंटवाडा वादी के व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता मोहनसिंह यानि चारो भाईयों ने आपसी स्वतंत्र सहमति से तहसीलदार सिवाना के संमक्ष उपस्थित होकर करवाया गया था, चारो भाईयों ने दिनांक 14.03.1986 को 30 रूपये के स्टाम्प पर जोत भूमि का विभाजन का एग्रीमेन्ट माफिक कब्जा काश्त अनुसार तैयार कराकर उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

एग्रीमेन्ट पर चारो भाईयों ने अपने हस्ताक्षर कर बालोतरा जाकर बालोतरा में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई लोक अदालत में प्रभारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सहमति से विभाजन किया जिस पर तहसीलदार सिवाना ने हल्का पटवारी को मौके की जांच करने के आदेश दिये तथा हल्का पटवारी द्वारा श्रीमान तहसीलदार सिवाना के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर सहमति से विभाजन स्वीकार किया व उसके रूह में नामान्तरकरण पारित किया तब से लगाकर चारो भाई माफिक बंटवाडा अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है, तथा अपनी बहस में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में से उपजाऊ भूमि वाली भूमि वादी का तथा उबड खाबड भूमि प्रतिवादीगण को दी गई अर्थात वादग्रस्त भूमि में से 44.16 बीघा वादी को तथा 100–100 बीघा भूमि प्रतिवादीगण को बंटवाडा में दी गई। दौराने बहस प्रतिवादी ने निवेदन किया कि पूर्व में विभाजन एग्रीमेन्ट तहसीलदार सिवाना द्वारा आज से 27–28 वर्ष तैयार कर विभाजन कर दिया था इतने लम्बे समय अन्तराल के पास उक्त दावा पेश किया है जो दावा म्याद बाहर है तथा अपने कथने से विवादित है तथा तहसीलदार विभाजन स्वीकृत किया है जिस कारण उक्त वाद श्री न्यायालय का क्षेत्राधिकार का नहीं होने से दावा खारिज करने को निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात, बयानात एवं न्यायिक दृष्टांतो का गम्भीतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता धनसिंह के कब्जा खातेदारी की थी धनसिह के देहान्त के बाद उक्त भूमि चारो भाईयों के नाम दर्ज हुई यह तथ्य सभी गवाहो ने स्वीकार किया है। वादी का अनुतोष वादग्रस्त भूमियों मे वादी व प्रतिवादी का समान 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का अनुतोष है कि सहमति से जो बंटवाडा हुआ है उसी को यथावत रखते हुए वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली पर कायम निम्न तनकीयात का विवेचन किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या –1 आया वादीगण वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 468 , 469, 466, 472, 1598 व 467 कुल रकबा 65.04 बीघा सरहद मौजा पादरू (खसरा सख्ंया 468 के नये खसरा संख्या 1874/468, 1876/468 [illegible] एवं खसरा संख्या 469 के नये खसरा संख्या 1877/469,1878/469,187[illegible] व खसरा संख्या 72 रकबा 280.17 बीघा सरहद पंऊ (जिसके नये खसरा स[illegible] 325/72, 326/72, 327/72 व 328/72) नामान्तरकरण [illegible] नामान्तरकरण संख्या 267 ग्राम पंऊ निरस्त अपास्त करवाकर प्रत्येक खसरा [illegible]/4–1/4 हिस्सा कुल तादादी 86.10 बीघा वादीगण का हिस्सा दुरूस्त करवाने एवं खतोदारी मे घोषित करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) सिवाना

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी ने उक्त तनकी को सिद्व करने के लिए पी.डब्लयू 1 स्वंय गणपतसिंह , पी.डब्लयू 2 आसूराम, पी.डब्लयू 3 भीमसिंह के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 से 8 तथा पूर्व में हुये बंटवाडा की प्रतिलिपियां प्रदर्श 9 से 20 प्रस्तुत किये वादीगण के साक्ष्य पी.डब्लयू 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जो दस्तावेज पेश किये जिसमें धनसिंह के चारो पुत्रो के नाम है तथा जो बंटवाडा प्रदर्श 9 से 20 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा में वादी को 44.15 बीघा भूमि व प्रतिवादीगण तीनो भाईयों को 100.07,100–17 व 100–17 बीघा भूमि देने का इन्द्राज बताया है, वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि में मात्र 44.15 बीघा ही बंटवाडा के तहत देना बताया है इतनी कम भूमि देने का कोई उचित कारण बंटवाडा में नहीं दर्शाए गया है तथा प्रतिवादी साक्ष्य डी.डब्लयू 1 लाखसिंह द्वारा अपने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों वादी व प्रतिवादीगण की खरीदसुदा नहीं होकर पैतृक सम्पत्ति है तथा यह भी स्वीकार किया कि धनसिह के चार पुत्र थे जिसमें शेरसिंह अनपढ व्यक्ति थे तथा जबरसिंह साक्ष्य व्यक्ति थे तथा बंटवाडा का अभिलेख प्रदर्श ए 1 से ए 13 तक सभी रिपोर्ट जबरसिंह ने तैयार करवाने का कथन किया है जिरह के दौरान डी.डब्लयू 1 ने यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि 468 चाही अव्वल भूमि थी जिसमें वादी को हिस्सा नहीं देकर तीन भाईयों के हक में दी गई तथा यह भी स्वीकार किया कि वादी के हक में दी गई भूमि धोरा किस्म की है, प्रतिवादी गवाह डी.डब्लयू 2 भीमसिंह ने उपस्थित होकर सशपथ बयान में यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा पादरू,पंऊ व इटवाया की कुल जमीन में से 86–86 बीघा प्रत्येक भाईयों को आनी चाहिए थी तथा जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत प्रदर्श एवं जिरह से यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमियो पुश्तैनी है जिसमें विधिनुसार चारो भाईयों का समान हक होना चाहिए, प्रदर्श ए 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को धोरा किस्म की भूमि ही दी गई लिहाजा प्रतिवादीगण का यह कथन की वादी को उपजाऊ भूमि देने के कारण कम भूमि दी गई हो स्वीकार योग्य नहीं है न्यायालय का मत है कि वादग्रस्त भूमि है जिसमे चारो भाईयों का समान हक हिस्सा विधमान है परन्तु वादी जो अनपढ है उसके अपने पैतृक भूमि से वंचित रखते हुए कम भूमि दी गई ऐसा बंटवाडा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *Mst. Rukhmabai vs Lala Laxminarayan & Ors. 1960 Air Page 335 SC* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारिवारिक संपत्ति के धोखाधडी भरे बंटवारे को अवैध ठहराया गया जो उक्त वाद पत्र में पूर्णतया चस्पा होती है वादी के मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रतिवादी के साक्ष्य से जिरह से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

तनकी संख्या 2– आया बाद घोषणा वादीगण के हिस्से की 1/4 रकबा 86.10 बीघा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाकर पत्थरगढी के आदेश करवाने के अधिकारी है ? (जिम्मे वादी)

तनकी संख्या 3– आया वादीगण बाद घोषण वादी के हिस्से की 1/4 रकबा 86.10 बीघा में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे वादी)

चूंकि तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है लिहाजा तनकी संख्या 2 व 3 भी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4– आया लोक अदालत दिनांक 16.03.1986 को प्रभारी अधिकारी लोक अदालत बालोतरा के समक्ष उक्त वादग्रस्त कृषि जोत भूमि मे विभाजन का एग्रीमेन्ट तैयार कर चारो भाई शेरसिंह, जबरसिंह, अभयसिंह व मोहनसिंह ने अपने–अपने हस्ताक्षर कर पेश किया जिस पर हल्का पटवारी व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व चारो भाईयों की लिखित सहमति के आधार पर दिनांक 26.07.1986 को स्वीकृत किये जाने से नामान्तरकरण पारित किया गया। इसी बंटवाडा अनुसार पक्षकारन काबिज–काश्त है। वादी की नीयत में खेट आने से अब 27–28 साल बाद मे दावा पेश किया है जो सारहीन, बेबुनियाद, म्याद बहार तथा न्यायालय के श्रवणधिकार का नही होने से प्रतिवादीगण वादीगण का वाद खारिज करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1/1 से 4)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को सिद्व करने के लिए डी.डब्लयू 1 लाखसिंह , डी.डब्लयू 2 मदनसिंह के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य पूर्व में हुये बंटवाडा की प्रतिलिपियां प्रदर्श ए 1 से प्रदर्श ए 11 प्रस्तुत किये उक्त प्रदर्श के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवाडा का विलेख दिनांक 14.03.1986 को निष्पादित किया गया है जिस पर वादी के अंगुष्ठ निशान है तथा प्रतिवादी जबरसिंह का हस्ताक्षर है उक्त एग्रीमेन्ट का स्टाम्प भी जबरसिंह द्वारा खरीद करना बताया है इस सम्बन्ध में जिरह के दौरान डी.डब्लयू 1 लाखसिह ने स्वीकार किया है कि बंटवाडा एग्रीमेन्ट लाखसिंह के पिता जबरसिंह द्वारा तैयार करना बताया है जिसमें वादी को मात्र 44.16 बीघा दी गई तथा शेष प्रतिवादीगण को [illegible] बीघा का इन्द्राज है जिससे स्पष्ट है कि उक्त विभाजन समानता से नहीं किया [illegible] असमानता से किया गया है जिसमें वादी को उक्त पैतृक सम्पत्ति [illegible] 86 बीघा भूमि के स्थान पर मात्र 44.16 बीघा भूमि दी गई जो ऐसा अभिलेख प्रारम्भ से शून्य है जहां तक म्याद का प्रश्न है इस सम्बन्ध में शून्य दस्तावेजात को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जो प्रारम्भ से शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) सिवाना

ही होता है लिहाजा उक्त तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध में निर्णित की जाती है।

अनुतोषः— उपर्यक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादी ने वादी के जिम्मे तनकी, तनकी संख्या संख्या 1 से 3 को अपने कथने,साक्ष्य व सबूतो से को साबित करने में सफल नहीं हो पाये है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकी संख्या 4 को साबित करने में असफल रहे है ।

लिहाजा वादीगण का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो/साक्ष्य व सबूतो के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचना के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 468 , 469, 466, 472, 1598 व 467 कुल रकबा 65.04 बीघा सरहद मौजा पादरू (खसरा सख्या 468 के नये खसरा संख्या 1874/468,1875/468,1876/468 एवं खसरा संख्या 469 के नये खसरा संख्या 1877/469,1878/469,1879/469) व खसरा संख्या 72 रकबा 280.17 बीघा सरहद पंऊ (जिसके नये खसरा संख्या 325/72, 326/72, 327/72 व 328/72) नामान्तरकरण संख्या 1119 नामान्तरकरण संख्या 1119 ग्राम पादरू व नामान्तरकरण संख्या 267 ग्राम पंऊ को निरस्त/ अपास्त किया जाता है। वादग्रस्त खसरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विधिक वारिसान का 1/4 —1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादीगण :–

स्व.शेरसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू के वारिसान

1. भीमसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मनोहरसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. गणपतसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. दलपतसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. उतमसिंह पुत्र स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. अंतरकंवर बेवा स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. कमलकंवर पुत्री स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. गणेशकंवर पुत्री स्व.शेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. जबरसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के वारिसान
   - 1/1 गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/2 लाखसिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/3 जूजारसिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/4 वीरसिह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/5 प्रवीण सिंह पुत्र स्व.जबरसिंह
   - 1/6 लीलकंवर पुत्री स्व.जबरसिंह
   - 1/7 राणकंवर बेवा स्व. जबरसिंह

   निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. स्व. अभयसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के वारिसान
   - 2/1 आनन्दकंवर पुत्री अभयसिंह
   - 2/2 धापुकंवर पुत्री अभयसिंह

   निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. कालुसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

दावा बाबत् अधिकार घोषणा,रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवाडा,स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर :–43 / 2013 निर्णय दिनांक :– 05.01.20..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह्र पेश होकर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 468 , 469, 466, 472, 1598 व 467 कुल रकबा 65.04 बीघा सरहद मौजा पादरू (खसरा सख्या 468 के नये खसरा संख्या 1874 / 468,1875 / 468,1876 / 468 एवं खसरा संख्या 469 के नये खसरा संख्या 1877 / 469,1878 / 469,1879 / 469) व खसरा संख्या 72 रकबा 280.17 बीघा सरहद पंऊ (जिसके नये खसरा संख्या 325 / 72, 326 / 72, 327 / 72 व 328 / 72) नामान्तरकरण संख्या 1119 नामान्तरकरण संख्या 1119 ग्राम पादरू व नामान्तरकरण संख्या 267 ग्राम पंऊ को निरस्त / अपास्त किया जाता है। वादग्रस्त खसरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विधिक वारिसान का 1 / 4 –1 / 4 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.01.26 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested